न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), लखीमपुर–खीरी

उपस्थित– रेनू सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

वाद सं0–333/2021

CNR No. UPLP 01 003639 2021

राज्य उ0प्र0. ———————— अभियोजन पक्ष।

बनाम

परसूराम पुत्र तुलसीराम, निवासी ग्राम बैनीपुरवा, थाना सिंगाही, जिला खीरी।
———————— अभियुक्त।

मु0अ0सं0–32/2020
धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–सिंगाही, जिला–खीरी।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले का विचारण थाना सिंगाही, जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–32/2020 में अभियुक्त परसूराम के विरूद्ध धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रस्तुत आरोप पत्र पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2020 को समय 15:55 बजे बहद ग्राम बैनीपुरवा, थाना सिंगाही, जिला लखीमपुर खीरी में वादी/अवर अभियन्ता अर्जुन सिंह मय अन्य विद्युत कर्मचारीगण द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दिनांक 02.12.2019 को उपभोक्ता परसूराम का विद्युत संयोजन बिल बकाया पर पूर्व में काट दिया गया जो कि चेकिंग के दौरान पुनः चलता पाया गया। उपरोक्त उपभोक्ता/व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में दिनांक 12.01.2020 को समय 19:31 बजे अभियुक्त परसूराम के विरूद्ध मु0अ0सं0–32/2020 अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक का बयान तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचनोपरान्त प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त परसूराम के विरूद्ध मु0अ0सं0 32/2020 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 04.03.2021 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। तदुपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2022 को अभियुक्त परसूराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को उसके विरूद्ध अधिरोपित आरोप को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध विरचित आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में एकमात्र साक्षी को परीक्षित कराया गया।

मौखिक साक्ष्य–

1. पी0डब्लू0–1 अवर अभियन्ता, अर्जुन सिंह

7. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र साबित कराया गया।

प्रलेखीय साक्ष्य–

1. प्रदर्श क–1 तहरीर

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्व किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक व साक्षी के बयान को गलत बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया है एवं अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह निर्दोष है उसने कोई विद्युत चोरी नहीं की है।

9. विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) एवं विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप अधिरोपित किया गया है कि दिनांक 10.01.2020 को समय 15:55 बजे स्थान बहद ग्राम बैनीपुरवा, अं0धारा–सिंगाही, जिला खीरी में विद्युत विभाग के कर्मचारीगण द्वारा पूर्व में बकाये पर काटे गये कनेक्शन का पुनः चेकिंग करने पर अभियुक्त का विद्युत संयोजन अवैध रूप से जुड़ा पाया गया।

11. आपराधिक मामले में विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियुक्त के विरूद्व विरचित आरोप में दोषसिद्धि करने हेतु आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है।

12. अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को साबित किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष के साक्षी पी0डब्लू0–1 अवर अभियन्ता, अर्जुन सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में बहलफ कथन किया गया कि घटना दिनांक 10.01.20 की है। वह व उसकी विद्युत टीम व प्रवर्तन दल की टीम के साथ राजस्व वसूली अभियान में व पूर्व में कटे हुए कनेक्शन के चेकिंग अभियान में थे। इसी दिन उपभोक्ता

परशुराम पुत्र तुलसी निवासी ग्राम बेनीपुरवा थाना सिंगाही के परिसर को चेक किया गया तो पूर्व में बकाये पर कटा हुआ कनेक्शन जुड़ा पाया गया। इसकी सूचना उपभोक्ता के परिवार को दिया तो वह कुछ नहीं बताये। घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर सम्बन्धित थाने में देकर अभि0 परसुराम के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाया। पत्रावली में संलग्न टाइपशुदा तहरीर पर उसके हस्ताक्षर है इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था तथा उसकी निशादेही पर नक्शा नजरी बनाया था।

13. बचावपक्ष से जिरह करने साक्षी ने कथन किया है कि प्रश्नगत दि0 संयोजन उसके द्वारा नहीं किया गया था। घटना वाले दिन उसने ग्राम बैनीपुरवा में लगभग 10 कनेक्शन चेक किये गये थे। उसने इन सभी 20 लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने जिस दिन घटनास्थल का निरीक्षण कराया था उसी दिन उसने एफ0आई0आर0 दर्ज करवाया था। तहरीर शामिल पत्रावली प्रदर्श क–1 प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर है जिसमें समय दिनांक उपभोक्ता का नाम संयोजन संख्या व बकाया धनराशि उसने अपने आप से भरी हे। शेष प्रिन्ट है। रिपोर्ट लिखाने के 10–15 दिन बाद दरोगा ने उसे थाने पर बुलाकर उसका बयान लिया था। वि0 संयोजन से सम्बन्धित सम्पूर्ण बकाया धनराशि अग्रिम बिल में प्रदर्शित होती है। भुगतान की पावती कम्प्यूटर द्वारा निर्गत होती है। इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध भुगतान पावती दिनांक 22.03.21 देखकर कहा कि संयोजन के सम्बन्ध में कोई बकाया नहीं है पूर्व में वि0 संयोजन विच्छेदन की रसीद की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु इस पर उपभोक्ता का नाम अंकित नहीं है।

14. न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे है अथवा नहीं?

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली में संलग्न, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय निघासन, मध्यांचच विद्युत वितरण निगम लि0 लखीमपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0–4245 / वि0वि0ख0नि0 / दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त परशुराम द्वारा निर्धारित शमन शुल्क मु0 2,000 / –रूपये व राजस्व निर्धारण मु0 2189 / –रूपये व मु0 2000 / –रूपये कुल 6139 / –रूपये व बकाया विद्युत बिल 3500 / –रूपये बिजली बिल राहत योजना के अन्तर्गत छूट में जमा किया गया है। उक्त प्रकरण पर किसी प्रकार का कोई बकाया शेष नहीं है।

16. विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा बहस के

दौरान यह कथन किया गया कि विभाग की कोई धनराशि/देयता अभियुक्त के ऊपर शेष नहीं है।

17. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन व उपर्युक्त विश्लेषण से अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क अदा करने व राजस्व निर्धारण धनराशि को जमा किये जाने का तथ्य इस स्तर पर निष्कर्षित होकर सामने आता है। धारा–152 विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जिसमें अपराध शमनीय हो एवं शमन शुल्क को अगर अदा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का प्रावधान है।

18. धारा–152 विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के तहत अभियुक्त के द्वारा शमन शुल्क व विद्युत राजस्व निर्धारण शुल्क को अदा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार उत्पन्न होता है। अतः अभियुक्त परसूराम को अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष वाद सं0 333/2021, मु0अ0सं0 32/2020, थाना सिंगाही, जिला लखीमपुर खीरी के प्रकरण में अभियुक्त परसूराम को अपराध अन्तर्गत धारा–138बी भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः अभियुक्त के जमानतनामें निरस्त किए जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 06.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी
JO CODE NO. UP 6470

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 06.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी
JO CODE NO. UP 6470

Digitally signed by Renu Singh
Date: 2026.03.07 16:57:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court